UPEW010030752025

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश
(द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा।

आर्बीट्रेशन निष्पादन वाद संख्या–53/2025

मै०श्रीराम ट्रां०फा०लि० बनाम रिषी कुमार कुमार आदि ।

दिनांक–12.03.2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिक्रीदार अनुपस्थित है। डिक्रीदार की ओर से आज कोई स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत निष्पादन वाद डिक्रीदार मै०श्रीराम ट्रां०फा०लि० द्वारा अवार्ड की गयी धनराशि मुवलिग 112749/–रूपये मय ब्याज की वसूली हेतु दाखिल किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि डिक्रीदार द्वारा पूर्व में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया था कि डिक्रीदार व विपक्षी के मध्य समझौता के तहत धनराशि जमा किया जाना तय हो गया था किन्तु विपक्षी द्वारा तयशुदा धनराशि जमा नहीं की जा रही है। यह भी दर्शित है कि प्रकरण में डिक्रीदार अनुपस्थित चल रहा है और उसके द्वारा निर्णीत ऋणी हेतु पैरवी नहीं की जा रही है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रश्नगत निष्पादन वाद वर्ष 2025 से सम्बन्धित है। निष्पादन वाद के निस्तारण के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा छःमाह के अन्दर निस्तारित किये जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। डिक्रीदार द्वारा निर्णीत ऋणी के बाबत कोई पैरवी नहीं की जा रही है। डिक्रीदार को अंतिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है,किन्तु आज भी डिक्रीदार अनुपस्थित है। कोई स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि डिक्रीदार प्रश्नगत निष्पादन वाद को आगे चलाये रखने के इच्छुक नहीं है।

अतः प्रश्नगत निष्पादन वाद डिक्रीदार की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.03.19 15:03:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार की जाये।

दिनांक 12.03.2026

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।
(J.O.Code NO.U.P.1546)